न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–62/2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–27.09.2023
निर्णय दिनांक–20.11.2025

बोदूराम उर्फ मडूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0
अप्रार्थी–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

आवेदन बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1364, 1365 कुल किता 07 कुल रकबा 1.2393 हैक्ट. ग्राम बगडी, पटवार हल्का बगडी, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/14 है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकार है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात जो विरासत का नामांन्तकरण भरा गया। उस समय प्रार्थी का नाम बोदूराम के स्थान पर गांव में पुकारा जाने वाला नाम मडूराम पुत्र मांग्या दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात में तथा जमाबंदी ग्राम फजलपुरा संवत् 2074–77 खाता संख्या 67 व 68, जमाबंदी ग्राम प्यावडी खाता संख्या 566 पर प्रार्थी का नाम बोदूराम उर्फ मडूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा सही रूप से अंकित हो रखा है, लेकिन उक्त भूमियो में प्रार्थी का नाम गलत रूप से मडूराम पुत्र मांग्या जाति मीणा दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी को पूर्व में इस त्रुटीपूर्ण इन्द्राज की कोई जानकारी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

नहीं थी। प्रार्थी उक्त त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को सही करवाने के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारियों के पास कई बार जा चुका है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम में दुरूस्ती नही होने के कारण यह आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1364, 1365 कुल किता 07 कुल रकबा 1.2393 हैक्ट. ग्राम बगडी, पटवार हल्का बगडी में स्थित आराजी में प्रार्थी का नाम गलत रूप से मडूराम पुत्र मांग्या जाति मीणा के स्थान पर सही नाम बोदूराम उर्फ मडूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा अंकित करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जमाबंदी ग्राम बगडी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 736 नयी में दर्ज प्रार्थी का नाम मडूराम पुत्र मांग्या हि. 1/4 जाति मीणा सा.देह फजलपुरा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1408 दिनांक 07.02.2002 दर्ज करते समय मजमेआम में प्रार्थी का ग्रामीण भाषा में पुकारा जाने वाला नाम मडूराम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुताबिक जमाबंदी ग्राम फजलपुरा के खाता संख्या 43 ग्राम पंचायत प्यावडी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं प्रार्थी के शपथ पत्र अनुसार वास्तविक नाम बोदूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा सा. फजलपुरा है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1364, 1365 कुल किता 07 कुल रकबा 1.2393 हैक्ट. ग्राम बगडी में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/14 है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकार है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात जो विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उस समय प्रार्थी का नाम बोदूराम के स्थान पर गांव में पुकारा जाने वाला नाम मडूराम पुत्र मांग्या दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात में तथा जमाबंदी ग्राम फजलपुरा संवत् 2074–77 खाता संख्या 67 व 68, जमाबंदी ग्राम प्यावडी खाता संख्या 566 पर प्रार्थी का नाम बोदूराम उर्फ मडूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा सही रूप से अंकित हो रखा है, लेकिन उक्त भूमियो में प्रार्थी का नाम गलत रूप से मडूराम पुत्र मांग्या जाति मीणा दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1364, 1365 कुल किता 07 कुल रकबा 1.2393 हैक्ट. ग्राम बगडी, पटवार

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

हल्का बगडी में स्थित आराजी में प्रार्थी का नाम गलत रूप से मडूराम पुत्र मांग्या जाति मीणा के स्थान पर सही नाम बोदूराम उर्फ मडूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा दर्ज जावे।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी ग्राम फजलपुरा संवत् 2074–77 खाता संख्या 67 व 68, जमाबंदी ग्राम थ्यावडी खाता संख्या 566 व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम बोदूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा है, जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड भूमि आराजी ख0न0 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1364, 1365 कुल किता 07 कुल रकबा 1.2393 हैक्ट. ग्राम बगडी, पटवार हल्का बगडी में प्रार्थी का नाम मडूराम पुत्र मांग्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम **मडूराम पुत्र मांग्या जाति मीणा हि. 1/14** के स्थान पर **बोदूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा हिस्सा जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)

([illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)